# न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री देउ कुमावत **बनाम** खेमा कुमावत वगै0

केस्न मुकदमा .........प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट..............................................न. 64 सन् 2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| .05.2017 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बल्दरखा में पेंश हुई। वकील वादी तथा विपक्षी संख्या 01 व 03 उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 417 कि आराजी न0 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1584, 1585, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593 कुल किता 17 कुल रकबा 12 बीघा 00 बिस्वा एंव खाता संख्या 56 के आराजी संख्या 1656 रकबा 02–07 बीघा** आराजीयात विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।<br>प्रार्थीया विवादित आराजीयात को पैतृक होने का कथन लेकर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड भुमि को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया स्वर्गीय सोहनी की मृत्यू पश्चात एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिसान है, एंव मृतका सोहनी जो कि विपक्षी संख्या 03 की बहिन थी जिसने कथित तौर पर खेमा कुमावत को सोहनी के गोद जाना बताकर सोहनी की विरासत का नामान्तकरण खेमा कुमावत के नाम खुलवा लिया जो कि विपक्षी संख्या 03 का प्राकतिक पुत्र है। जबकि 01 व 03 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा पैत्रक आराजीयात में से भूमि का विकय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा।<br>प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा पैतृक भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीया के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।<br>अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम बल्दरखा पटवार हल्का बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित **खाता स0 417 कि आराजी न0 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1584, 1585, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593 कुल किता 17 कुल रकबा 12 बीघा 00 बिस्वा एंव खाता संख्या 56 के आराजी संख्या 1656 रकबा 02–07 बीघा** में राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बनेडा जिला भीलवाडा | – |